

बिहार सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग  
संकल्प

विषय:- यक्ष्मा, क्षयर और कुष्ठ रोग के इलाज के लिए सरकारी सेवकों को वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संकल्प सख्या १४५३ (६) दिनांक १०-६-७५ से राज्यसरकार के कर्मचारियों को कंटिन्का-२(स) में दी गई निश्चिन्ता प्रतिपूर्ति की सुविधा के अलावा सभी सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों को यक्ष्मा, क्षयर और कुष्ठ रोगों के लिए बर्हिवासी रोगों के रूप में इलाज के लिए भी वास्तविक व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय संकल्प के निर्गत करने की तिथि से तुरन्त लागू होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसकी प्रति बिहार राजपत्र में अगले अंक में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०-सुरेंद्र प्रसाद,  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक- ३।एम०-४-०१।७६-६६६(६) स्वा०पटना, दिनांक १६-५-८०।  
प्रतिलिपि स्वदेशीक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना  
रा पत्र की २००० प्रतियाँ भजी जाय।

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग। विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नंक पटना उच्च न्यायालय एवं बिहार विधान (सभा  
परिषद्) को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना। रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि स्वास्थ्य एवं प०का० के सभी पदा० को एवं कर्मचारियों  
को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०-सु०प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक- ७६० (६) । स्वा०पटना, दिनांक १२-६-८०  
प्रतिलिपि स्वास्थ्य एवं प०का० विभाग के सभी अतिरिक्त कार्यालयों  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फलक,  
१०-६-८०

Y अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (प्र०) बिहार।  
पं०  
११/६